रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-271997
SG-DL-E-23042026-271997

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 10
No. 102]	DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948	[N. C. T. D. No. 10

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

विषयः दिल्ली के पुनर्गठित जिलों के लिए पूर्व-गर्भधारण एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जिला उपयुक्त प्राधिकारियों की नियुक्ति।

सं. DFW-9034/1/2026-SPO-PCPNDT(DFW)/Prsecyhfw/500-511.— पूर्व-गर्भधारण एव प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) के साथ पठित, और गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या SO. 3753(E). दिनाक 02 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक राजस्व जिले के उपायुक्त को उनके-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु जिला उपयुक्त प्राधिकारी (District Appropriate Authority) नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी राजस्व जिलों पर लागू होगी, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

नियुक्त जिला उपयुक्त प्राधिकारी, उक्त अधिनियम तथा उसके अतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

यह अधिसूचना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जिला उपयुक्त प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं का निरस्तीकरण (Supersession) करती है।

तथापि, इस प्रकार निरस्त की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य या कार्रवाई को, इस अधिसूचना के समकक्ष प्रावधानों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर,
रूपेश कुमार ठाकुर, सचिव

फुटनोटः यह अधिसूचना दिनाक 23.04.2014 को जारी अधिसूचना संख्या F9/7/1/DFW/PNDT/03/PL/3320-3333 के निरस्तीकरण में जारी की गई है, जो दिल्ली राजपत्र (असाधारण), भाग-IV में 21-27 अप्रैल, 2014 को प्रकाशित हुई थी।

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th April, 2026

Subject: Appointment of District Appropriate Authorities under the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 for the reorganized districts of Delhi.

No. DFW-9034/1/2026-SPO-PCPNDT(DFW)/Prsecyhfw/500-511.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 17 of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), read with clause (r) of Section 2 of the said Act, and in pursuance of the Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3753(E), dated the 2nd September, 2024, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the Deputy Commissioner of each Revenue District of the National Capital Territory of Delhi as the District Appropriate Authority for the purposes of the said Act within their respective territorial jurisdictions.

1. The said appointment shall apply to all Revenue Districts of the National Capital Territory of Delhi as notified by the Government from time to time.
2. The District Appropriate Authorities so appointed shall exercise the powers and perform the duties assigned to them under the said Act and the rules made thereunder within their respective territorial jurisdictions.
3. This notification supersedes all earlier notifications issued by the Government of the National Capital Territory of Delhi regarding the appointment of District Appropriate Authorities for Revenue Districts.
4. Notwithstanding such supersession, anything done or any action taken under the notifications so superseded shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this notification.
5. This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

RUPESH KUMAR THAKUR, Secy.

Footnote: This notification supersede the earlier notification(s) in suppression of the notification No. F.9/7/1/DFW/PNDT/03/Pt./3320-3333 dated 23.04.2014, published in the Gazette weekly 21-27 April, 2014 Part IV in Delhi Gazette extraordinary.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA